न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 65/2017 पुनः दर्ज

शीर्षक

1. दानाराम
2. ईसर

} पि0 बींजाराम जाति जाट, नि0 कलवानियों का बास, तन नायन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. प्रभुसरण
2. चन्द्रभान
3. मनफूल
4. भगवान सहाय

} पि0 नानूराम जाति जाट, नि0 कलवानियों का बास, तन नायन, तह0 शाहपुरा जयपुर (राज0)

5. बंशीधर
6. जगदीश प्रसाद
7. ओमकार मल

} पि0 मांगू जाति जाट, नि0 कलवानियों का बास, तन नायन, तह0 शाहपुरा जयपुर (राज0)

8. मु0 धांपा पत्नी गणेश जाति अहीर (मृतक)
   8/1. छीतर पुत्र गणेश
   8/2. ग्यारसी देवी पत्नी बोदूराम
   8/3. कमलेश
   8/4. संतोष
   8/5. राकेश

} पुत्रान् बोदूराम, जाति अहीर, , नि0 कलवानियों का बास, तन नायन, तह0 शाहपुरा जयपुर (राज0)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-- 53, 188 आर.टी.एक्ट --1955

निर्णय दिनांक 10.06.2019

दावा वादी संक्षेप में इस प्रकार पेश है कि आ0ख0नं0 1184/0.40, 1193/0.41, 1198/0.38, 204/0.19, 1216/0.28 कुल किता 05 रकबा 1.66 है0 वाकै ग्राम कलवानियों का बास पटवार हल्का नायन तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी वादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। तथा ख0नं0 1209/0.10 है0 वाकै ग्राम कलवानियों का बास पटवार हल्का नायन तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। यह है कि आ.ख.नं. 1184, 1193, 1198, 1204, 1216 रकबा 1.66 है0 में से वादी सं. 1 का 1/8 भाग एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा0 4 का केवल ख.नं. 1193 के 1/4 भाग में से [illegible] भाग, प्रतिवादी सं. 5 लगा0 7 का ख.नं. 1184, 1193, 1198, 1204, 1216 रकबा 1.66 है0 में से [illegible] र हिस्सा 1/2 भाग एवं ख.नं. 1193 के 1/4 भाग में से 37/164 भाग तथा ख.नं. 1184, [illegible]98, 1204, 1216 में 1/4 भाग तथा प्रतिवादी सं. 8 उक्त भूमि के 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार है [illegible] इसी प्रकार मौके पर अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

उक्त वादपत्र विधिवत दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दावा दिनांक 24.02.2015 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर विधिवत सुनवाई की जाकर दिनांक 22.09.2009 को अन्तिम डिक्री जारी की गई।

उक्त जारी अन्तिम डिक्री दिनांक 22.09.2009 की अपील प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर के न्यायालय में की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2017 को इस न्यायालय में निर्णय डिक्री को निरस्त कर इस न्यायालय को इस आशय के साथ रिमाण्ड की गई कि उभयपक्षों की मौजूदगी में बंटवारा प्रस्तुत तैयार कर उभयपक्षों को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(कोर्ट नं.) शाहपुरा जयपुर राजस्थान

Scanned by CamScanner

पत्रावली पुनःदर्ज रजि. किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण की ओर से वकील अधिवक्ता उप0। पत्रावली में दिनांक 17.01.2018 को तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा गया। दिनांक 28.02.2018 को तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की। आपत्ति कुरैजात पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थनापत्र आपत्ति कुरैजात, जवाब प्रार्थनापत्र कुरैजात, बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। कुरैजात रिपोर्ट के अवलोकन पर पाया गया कि ख.नं. 1198 के बंटवारा प्रस्ताव में सहवन से ख.नं. 1198/1 रकबा 0.0744 है0 लिखा गया जो लिपिकीय त्रुटि है। अतः आपत्ति कुरैजात रिपोर्ट को आंशिक रूप से स्वीकार किया जावे। वादी सं. 1 के ख0नं0 1198/1 रकबा 0.0744 के स्थान पर 1198/2 रकबा 0.0744 है0 एवं दानाराम पुत्र मांगुराम के स्थान पर दानाराम पुत्र बीजाराम किया जाता है। कुरैजात रिपोर्ट में लाल स्याही से दोनों आपत्ति दुरस्त की जाती है।

अतः दावा मुताबिक रिपोर्ट बंटवारा अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ0ख0नं0 1193/0.41, 1209/0.10, 1184/0.40, 1198/0.38, 1204/0.19, 1216/0.28 है0 कुल किता 06 रकबा 1.76 है0 भूमि वाके ग्राम कलवानियों का बास पटवार हल्का नायन तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:

1. प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 4 के बंटवारे में आ0ख0नं0 1193/2 रकबा 0.01 है0 भूमि रहेगी।
2. प्रतिवादी संख्या 5 लगायात 7 के बंटवारे में आ0ख0नं0 1193/3 रकबा 0.3316 है0, 1209/3 रकबा 0.0278 है0, 1204 रकबा 0.19 है0, 1216 रकबा 0.2233 है0, 1184 रकबा 0.3230 है0 1198/1 रकबा 0.2300 है0, 1198/3 रकबा 0.0756 कुल किता 07 रकबा 1.4013 है0 भूमि रहेगी।
3. वादी संख्या 1 के बंटवारे मे आ0ख0नं0 1193/1 रकबा 0.684 है0, 1209/1 रकबा 0.0388 है0, 1216/1 रकबा 0.0567 है0, 1184/1 रकबा 0.0770 है0, 1198/2 रकबा 0.0744 है0, कुल किता 05 रकबा 0.3153 है0 भूमि रहेगी ।
4. वादी संख्या 2 के बंटवारे में ख0नं0 1209/2 रकबा 0.0334 है0 भूमि रहेगी।

नोटः– बंशीधर पुत्र मांगूराम जाट का हिस्सा 1/3 ख0नं0 1204, 1216, 1184, 1198/1, 1198/3 रहिन ओ.बी.सी बैंक शाखा तिगरिया मूर्तहीन रहेगा एवं दानाराम पुत्र मांगूराम के स्थान पर दानाराम पुत्र बीजाराम पढ़ा जावें। आ0ख0नं0 1209 पर रहन नहीं है।

कुरैजात रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में दरामद हेतु पर्चा डिक्री जारी हो। साथ ही पक्षकारान को सदैव–सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :– 65/2017 पुनः दर्ज

शीर्षक

दानाराम
ईसर } पि0 बींजाराम जाति जाट, नि0 कलवानियों का बास, तन नायन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

वादीगण

बनाम

प्रभुसरण
चन्द्रभान
मनफूल
भगवान सहाय } पि0 नानूराम जाति जाट, नि0 कलवानियों का बास, तन नायन, तह0 शाहपुरा जयपुर (राज0)

बंशीधर
जगदीश प्रसाद
ओमकार मल } पि0 मांगू जाति जाट, नि0 कलवानियों का बास, तन नायन, तह0 शाहपुरा जयपुर (राज0)

मु0 धांपा पत्नी गणेश जाति अहीर (मृतक)
8/1. छीतर पुत्र गणेश
8/2. ग्यारसी देवी पत्नी बोदूराम
8/3. कमलेश
8/4. संतोष
8/5. राकेश } पुत्रान् बोदूराम, जाति अहीर, , नि0 कलवानियों का बास, तन नायन, तह0 शाहपुरा जयपुर (राज0)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 53, 188 आर.टी.एक्ट –1955

निर्णय दिनांक 10.06.2019

अतः दावा मुताबिक रिपोर्ट बंटवारा अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ0ख0नं0 1193/0.41, 1209/0.10, 1184/0.40, 198/0.38, 1204/0.19, 1216/0.28 है0 कुल किता 06 रकबा 1.76 है0 भूमि वाकै ग्राम कलवानियों का बास पटवार हल्का ायन तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया ाता है:–

1. प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 4 के बंटवारे में आ0ख0नं0 1193/2 रकबा 0.01 है0 भूमि रहेगी।
2. प्रतिवादी संख्या 5 लगायात 7 के बंटवारे में आ0ख0नं0 1193/3 रकबा 0.3316 है0, 1209/3 रकबा 0.0278 है0, 1204 रकबा 0.19 है0, 1216 रकबा 0.2233 है0, 1184 रकबा 0.3230 है0, 1198/1 रकबा 0.2300 है0, 1198/3 रकबा 0.0756 कुल किता 07 रकबा 1.4013 है0 भूमि रहेगी।
3. वादी संख्या 1 के बंटवारे मे आ0ख0नं0 1193/1 रकबा 0.684 है0, 1209/1 रकबा 0.0388 है0, 1216/1 रकबा 0.0567 है0, 1184/1 रकबा 0.0770 है0, 1198/2 रकबा 0.0744 है0, कुल किता 05 रकबा 0. 3153 है0 भूमि रहेगी ।
4. वादी संख्या 2 के बंटवारे में ख0नं0 1209/2 रकबा 0.0334 है0 भूमि रहेगी।

ोटः– बंशीधर पुत्र मांगूराम जाट का हिस्सा 1/3 ख0नं0 1204, 1216, 1184, 1198/1, 1198/3 रहिन ओ.बी.सी बैंक ाखा तिगरिया मूर्तहीन रहेगा एवं दानाराम पुत्र मांगूराम के स्थान पर दानाराम पुत्र बींजाराम पढा जावे। आ0ख0नं0 1209 पर हन नहीं है।

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में दरामद हेतू पर्चा डिक्री जारी हो। ाथ ही पक्षकारान को सदैव–सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में आई भूमि में एक ूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करेंगे।

अन्तिम डिक्री आज तारीख 10.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

ाद के खर्चे

ादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियो के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner